

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) न्यायालय
सं0-3, लखनऊ।

UPLK010223732018



R.C.A./326/201

Plaintiff Name:
NIRMALA SINGH CHAUHAN AND ANOTHER
Age: 63
Occupation :
Address: E-18 PILI COLONY NEAR VIGYANPURI
MAHANAGAR EXTENSION MAHANAGAR LUCKNOW

VERSUS

Defendent Name:
LUCKNOW VIKAS PRADHIKARAN
Age: 0
Occupation :
Address: 6 J.C. BOSE ROAD LUCKNOW

27-01-2023

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार मय अधिवक्ता उपस्थित।

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सपटित
धारा-151 सी.पी.सी. लखनऊ नगर निगम, लखनऊ को पक्षकार बनाये जाने हेतु
इस आशय का दिया गया है कि दौरान विचारण सिविल अपील विपक्षी द्वारा
लखनऊ नगर निगम, लखनऊ के सहयोग से वादीय सम्पत्ति को बावजूद
न्यायालय के अन्तरिम आदेश ध्वस्त कर दिया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 39
नियम 2ए सी.पी.सी. के लम्बित रहते हुये नगर निगम, लखनऊ के कर्मचारीगण
द्वारा निर्माण सामग्री गिराना शुरू कर दिया गया जबकि सिविल अपील अभी
विचाराधीन है। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. की
आपत्ति दाखिल करने के स्थान पर नगर निगम, लखनऊ को वादीय सम्पत्ति
हस्तानान्तरित कर दी गयी। प्रार्थनापत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर नगर
निगम, लखनऊ को पक्षकार बनाये जाने की याचना की गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक
रूपेण परिशीलन किया।

विपक्षी की ओर से आदेश पत्र के हाशिये पर इस आशय का अंकन

किया गया कि “नगर निगम को पक्षकार बनाये जाने में प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। “ चूंकि अपीलार्थी द्वारा वादीय सम्पत्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर निगम, लखनऊ को हस्तगत किया जाना कहा गया है और विपक्षी द्वारा नगर निगम, लखनऊ को पक्षकार बनाये जाने में अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में नगर निगम, लखनऊ एक आवश्यक पक्षकार है एवं उसे अपना पक्ष रखने हेतु पक्षकार के रूप में पत्रावली पर स्थापित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र दिनांकित 25.11.2022 स्वीकार किया जाता है। लखनऊ नगर निगम, लखनऊ को पक्षकार बनाने हेतु आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये। नव सृजित पक्षकार को नोटिस हेतु पैरवी की जाये। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 06.02.2023 को पेश हो।

(रमाकान्त प्रसाद)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0)
न्यायालय सं0-3, लखनऊ।